4– सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के उपरोक्त प्रकरणों को सम्बन्धित निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात संबंधित प्रशासकीय विभागीय द्वारा विभागीय संस्तुति के उपरान्त औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा समिति की बैठक आयोजित कराते हुये समिति के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की संस्तुतियों के पश्चात् वित्त विभाग की सहमति के आदेश जारी किये जायेगें।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 85/XXVII(7)/2017 दिनांक 25 जनवरी, 2017 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्याः– 27/VII-1/31–उद्योग/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित सार्वजनिक उपकमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक।
6. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
7. एन०आई०सी०
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

uo